

प्रेस नोट

दिनांक 15.10.2024, मानिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष कठोर कारावास व रूपये 11,000/- अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 01.12.2022 को थाना कटराबाजार पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बहन पढने के लिए स्कूल जा रही थी की विपक्षी रास्ते में उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगा मना करने पर जानमाल की देते हुए भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना कटराबाजार पर मु0अ0सं0-523/2022, धारा 506, 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अभिषेक मिश्रा द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.07.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री नम्रता अग्रवाल द्वारा थाना कटराबाजार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अनूप प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्नर सौरभ प्रताप सिंह व थाना कटराबाजार के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 15.10.2024 को दोषी अभियुक्त किशन पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम होली टेपरा मौजा पहाडापुर थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 11,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. किशन पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम होली टेपरा मौजा पहाडापुर थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-523/2022, धारा 506, 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।